(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी–754–एक/05 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.04.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 83/03–04/अपील

राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री रामजीदास गोयल
निवासी– ए.बी. रोड, हनुमान पुल,
शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

म.प्र. शासन,
द्वारा– कलेक्टर, जिला शिवपुरी .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक 17/1/18 **को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 83/03–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.04.05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2003 के द्वारा पुनर्निर्धारण 3188/– रुपये

प्रीमियम 10,500/– एवं अर्थदंड 200/– रुपये अधिरोपित किया जाकर वगैर व्यपवर्तन के अवैध निर्माण हटाया जाकर पूर्व स्थिति में भूमि लाने के निर्देश दिए एवं ऐसा न करने पर 20/– रुपये प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित भी की गई। जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उनके द्वारा आदेश दिनांक 22.12.03 द्वारा निरस्त की गई। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जिसे आदेश दिनांक 13.04.2005 के द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि संहिता की धारा–59 के तहत आवेदक से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वर्णित धन की वसूली अवैध है, क्योंकि आवेदक का विवादित भूमि सर्वे कमांक 242 में किसी भी प्रकार का स्वत्व, स्वामित्व नहीं है और ना ही आवेदक कब्जाधारी है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 172(ए)(5) एवं (6) का सूचना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि स्वामी एवं कब्जाधारी को न भेजकर आवेदक को भेजा गया है, जबकि आवेदक उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं रखता है।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरसत किए जाने का अनुरोध किया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि आलोच्य भूमि आवेदक के स्वामित्व की नहीं है, परंतु उसके द्वारा 100×150 वर्गफुट भूमि पर पत्थर की फैक्ट्री लगाकर परिवर्तन किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदक को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया, परंतु उनके द्वारा निरंतर उपस्थिति उपरांत जवाब प्रस्तुत न करने के कारण जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाकर आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित है कि यदि आवेदक को भूमि पर कब्जा नहीं है और उसका आलोच्य भूमि से कोई संबंध नहीं है तो उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के

आदेश को क्यों चुनौती दी जा रही है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों के संबंध में समवर्ती निर्णय हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर